old reference

(4) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 1984.

(5) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989.

(6) उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989.

2. इन नियमावलियों के तहत विनियमितीकरण हेतु पात्रता के संदर्भ में कतिपय विभागों द्वारा यह जिज्ञासा की गयी है कि यदि तदर्थ नियुक्ति के आदेश में दर्शाये गये किसी कनिष्ठ द्वारा किसी ऐसी तदर्थ तिथि तक कार्यभार ग्रहण कर लिया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप वह विनियमितीकरण का पात्र हो किन्तु उससे ज्येष्ठ व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विनियमितीकरण की पात्रता हेतु निर्धारित तिथि के उपरान्त कार्यभार ग्रहण किया गया हो, तो क्या ऐसे ज्येष्ठ व्यक्ति विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।

3. इस विषय में शासन द्वारा विधिक परामर्श प्राप्त किया गया है। शासन को प्राप्त विधिक परामर्श के संगत उद्धरण संलग्न करते हुए अनुरोध है कि ऐसे प्रकरणों का निस्तारण कृपया संलग्न परामर्श के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाये।

भवदीया,
नीरा यादव,
सचिव।

शासनादेश संख्या-13/19/90-कार्मिक-1 दिनांक 26 अक्टूबर, 1990 का संलग्नक

विधिक परामर्श

विनियमितीकरण करने के लिए नियुक्ति होने के दिनांक को महत्व दिया गया और उस आधार पर दिनांक 1/10/1986 की तिथि इस प्रकार निर्धारित की गयी कि इस तिथि से पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर विनियमितीकरण करने के लिए अर्ह माना जायेगा। विनियमितीकरण उपयुक्तता के आधार पर समिति द्वारा किया जाता है, केवल 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर विनियमितीकरण स्वमेव नहीं हो जाता है। अतः यह तिथि केवल पात्रता हेतु निर्धारित की गयी है। इसलिए नियुक्ति-पत्र की तिथि इस उद्देश्य के लिए माना जाना चाहिए। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि इस उद्देश्य के लिए अप्रासांगिक है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि प्रत्येक मामले में विभिन्न परिस्थितियों के कारण भिन्न हो सकती है और वह परिस्थितियां कर्मचारियों के नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं। इसलिए कार्यभार-ग्रहण करने की तिथि को विनियमितीकरण की पात्रता के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में एक व्यक्ति की नियुक्ति का आदेश दिनांक 26-9-1986 को तथा दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति का आदेश दिनांक 30-9-1986 को पारित किया गया था। अर्थात् विनियमितीकरण की पात्रता हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व दोनों व्यक्तियों की नियुक्ति की जा चुकी थी। मेरे अभिमत से यह दोनों व्यक्ति संशोधित विनियमितीकरण नियमावली, 1988 हेतु विनियमितीकरण के पात्र हैं और उनके विनियमितीकरण पर विचार करना चाहिए।

86

संख्या–20/1/1991–का–2/91

प्रेषक,

श्री ओ० पी० आर्य,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव या सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

कार्मिक अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई, 1991**

विषय :– भर्ती या नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर समसंख्यक टैलेक्स या रेडियोग्राम दिनांक 29 जून, 1991 एवं शासनादेश संख्या 1009/का-1–91, दिनांक 29 जून, 1991 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्पन्न की जाने वाली चयन प्रक्रिया या नियुक्ति को छोड़कर प्रत्येक श्रेणी के समस्त संवर्गीय तथा निःसंवर्गीय पदों पर सभी प्रकार के भर्ती या नियुक्ति विषयक प्रक्रिया यथास्थिति रखने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित मामले उक्त रोक से आच्छादित न होंगे—

(1) सेवा नियमावली के अधीन नियमित पदोन्नतियां।

(2) उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन नियुक्तियां।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति की अवशेष रिक्तियों पर विशेष चयन का आयोजन तथा उसके आधार पर नियुक्तियां।

(4) केवल अत्यन्त अल्पकालीन रिक्तियों (यथाअवकाश रिक्तियों आदि) में स्थानापन्न व्यवस्था।

(5) सीधी भर्ती व पदोन्नति के माध्यम से हुई तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावलियों के तहत विनियमितीकरण।

(6) अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयन व उनके आधार पर नियुक्तियां।

(7) चलचित्र निगम, गण्डक समादेश परियोजना, गोरखपुर तथा यू० पी० हार्टिको के छटनीशुदा कार्मिकों का समायोजन।

3. उपरोक्तानुसार प्रत्येक श्रेणी के राज्याधीन समस्त संवर्गीय/निःसंवर्गीय पदों पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती, तदर्थ पदोन्नति, संविदा, नियत वेतन, नियमित या नियत वेतन पर तदर्थ, दैनिक वेतन, मानदेय, वर्कचार्ज, सेवा स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति जिसमें पूर्व से चल रहे सेवा स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर पुनः सेवा स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति की अवधि को

सम्मिलित करते हुए समस्त प्रकार के भर्ती या नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक यथावत् स्थगित रहेगी।

4. उपरोक्त आदेशों को तद्नुसार कड़ाई से अनुपालन करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ओ० पी० आर्य,
सचिव।

87

संख्या–20/1/91–कार्मिक–2/1991

प्रेषक,

श्री ओ० पी० आर्य,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 1991

विषय :– भर्ती या नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 जुलाई, 1991 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय श्रेणी के पदों के भर्ती या नियुक्ति को यथास्थिति स्थगित किये जाने संबंधी व्यवस्था पर शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया एवं प्रस्तर 2 एवं 3 में वर्णित शर्तों के तहत आंशिक रूप से शिथिल किया गया है।

2. विचारोपरान्त श्रेणी-3 व 4 के समस्त प्राविधिक या अप्राविधिक पदों पर विभागीय चयन समिति द्वारा नियमित सीधी भर्ती या नियुक्ति की प्रक्रिया पर लगाया गया स्थगनादेश तात्कालिक प्रभाव से निम्नांकित शर्तों के अधीन-शिथिल किये जाने का निर्णय लिया गया है :—

(1) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-47/दस-सं० वि०-3(1)-90, दिनांक 9 मार्च, 1990 में आयोजनेत्तर पक्ष में समस्त श्रेणी के सीधी भर्ती के 5 प्रतिशत पद रिक्त रखे जायें परन्तु उक्त शर्त आरक्षित पदों पर लागू न होगी।

(2) आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत पदों के विरुद्ध न्यूनतम आवश्यक पदों पर ही चयन की कार्यवाही की जाय।